राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- एफ2(8)/नि.प्र./2016-17/ 105   दिनांक :- 08/6/16.

-:कार्यालय आदेश:-

मण्डल के विभिन्न वृत्त/खण्ड कार्यालयों के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किये गये अंकेक्षण कार्य के शुल्क (ज्ञाप) के भुगतान बाबत् संबंधित वृत्त/खण्ड कार्यालयों के आहरण-वितरण अधिकारियों को कार्यालय आदेश क्रमांक 457 दिनांक 13.02.15 के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि अंकेक्षण शुल्क के ज्ञाप के भुगतान की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर नियमानुसार वृत्त/खण्ड स्तर पर अंकेक्षण शुल्क का भुगतान करें।

इसी क्रम में उल्लेखनीय हैं कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 10068-74 दिनांक 05.08.05 में अंकेक्षण हेतु "कार्य दिवस" का उल्लेख करते हुए अंकेक्षण हेतु मण्डल के खण्ड/वृत्त व मुख्यालय हेतु दिवस निर्धारित किये गये हैं तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की आज्ञा दिनांक 01.08.2011 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की दरें निर्धारित की गई हैं।

मण्डल द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से अंकेक्षण अवधि के दौरान आने वाले सार्वजनिक अवकाशों के भुगतान हेतु वित्त विभाग के आदेश की प्रति चाही गई थी, जो स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से अपेक्षित है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता हैं कि सार्वजनिक अवकाशों का भुगतान, वित्त विभाग के मार्गदर्शन आने तक, नहीं किया जावे।

अतः अंकेक्षण शुल्क के भुगतान का पूर्ण लेखा जोखा आवश्यक रिकार्ड संधारण के माध्यम से करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त, मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता I/III, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता II राजस्थान आवासन मण्डल,जोधपुर।
6. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... राजस्थान आवासन मण्डल, ...
8. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल, ...
9. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ करने के लिये प्रेषित है।
10. लेखाधिकारी भुगतान/संकलन, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. मास्टर फाईल

वित्तीय सलाहकार